

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR



अ. शा. पत्र सं. क्य-13016/1/2016-वीएमसी
ग्रामीण विकास, पंचायती राज और
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, PANCHAYATI RAJ
AND DRINKING WATER & SANITATION
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI
दिनांक: 25 जुलाई, 2016

आदरणीया श्रीमती सुषमा स्वराज जी,

हमारे देश में जिलों के प्रभावी और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधान मंडलों और स्थानीय सरकारों (पंचायती राज संस्थाएं/नगर पालिका निकायों) में निर्वाचित प्रतिनिधियों के सभी स्तरों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को दिनांक 27 जून, 2016 को जिला समन्वय तथा निगरानी समिति (डीडीसीएमसी) गठित करने के लिए समसंख्यक आदेश जारी किया गया था। इस समिति को अब 'दिशा' कहा जाएगा।

2. अब यह समिति मंत्रालय द्वारा पहले से गठित जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों (डीवीएमसी) का अधिकांश करेगी तथा डीवीएमसी के लिए मनोनीत अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष डीडीसीएमसी के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। इस समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देश संलग्न हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को तदनुसार अधिसूचना करने का भी अनुरोध किया गया है।

3. दिशा-निर्देशों के अनुसार 'दिशा' की बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अर्थात् प्रत्येक वर्ष अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तथा फरवरी में आयोजित की जानी चाहिए। तथापि, चालू वर्ष (2016-17) के लिए इस नवसृजित समिति की पहली बैठक 13 अगस्त, 2016 को आयोजित की जाएगी। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को आवश्यक अनुदेश अलग से भी जारी किए जा रहे हैं।

4. मुझे आशा है कि इन समितियों के प्रभावी ढंग से काम काज करने में अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में मनोनीत सभी संसद सदस्य मेरा सहयोग देंगे।

शुभकामनाओं सहित।

श्रीमती सुषमा स्वराज,
माननीया विदेश मंत्री,
भारत सरकार, साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली- 110011

श्रीमती सुषमा स्वराज,
माननीया विदेश मंत्री,
भारत सरकार, साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली- 110011

25/7/16
(नरेन्द्र सिंह तोमर)

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi- 110001
Tel.: 011-23782373, 23782327 Fax: 011-23385876

Resi.: 3 Krishna Menon Marg, New Delhi-110001
Ph.: 011-23794697/98. Fax: 011-23794696

ग्रामीण विकास मंत्रालय
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा)

उद्देश्य

अवसंरचना और मानव विकास में सुधार तथा जन सामान्य के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे देश के जिलों के प्रभावी और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधान मंडलों और स्थानीय सरकारों (पंचायती राज संस्थाओं/नगरपालिका निकायों) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियां (दिशा) गठित की जा रही हैं। ये समितियां निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की निगरानी कर सकती हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए तालमेल एवं संकेद्रण को बढ़ावा दे सकती हैं। दिशा का दर्जा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फिलहाल अधिदेशित जिला सतर्कता और निगरानी समितियों से ऊपर होगा।

2. पृष्ठभूमि

भारत के संविधान के भाग IX में पंचायतों संबंधी प्रावधान किए गए हैं और भाग XI में संघ और राज्यों के संबंध को परिभाषित किया गया है। 7वीं अनुसूची की सूची-I में संघ सूची, सूची-II में राज्य सूची और सूची-III में केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारियों वाली समवर्ती सूची दर्शायी गई है। इसी प्रकार 11वीं अनुसूची में उन 29 मदों को दर्शाया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी हैं और 12वीं अनुसूची में उन 18 मदों को दर्शाया गया है जो कि शहरी स्थानीय सरकारों के अधीन हैं।

अनुच्छेद 243 छ में राज्य विधानमंडल को यह प्राधिकार दिया गया है कि वे आयोजना और कार्यान्वयन की शक्ति स्थानीय सरकारों को प्रदान कर सकती है।

अनुच्छेद 243 य घ में जिला आयोजना समिति (डीपीसी) के प्राधिकार का प्रावधान है।

केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को सौंपी गई जिम्मेदारियों की संवैधानिक व्यवस्था के तहत विकास समन्वय एवं निगरानी को बढ़ावा देने के लिए "दिशा" एक व्यवस्था है।

3. संरचना

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए :

अध्यक्ष : दिशा का अध्यक्ष जिले से निर्वाचित संसद सदस्य (लोक सभा) होना चाहिए, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाए। नामांकन के मानदंड इस प्रकार होने चाहिए:

- जहां कहीं एक से अधिक संसद सदस्य (लोक सभा) जिले का प्रतिनिधित्व करते हों वहां वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोक सभा) को अध्यक्ष नामित किया जाना चाहिए। तथापि गृह मंत्रालय द्वारा बनाए रखे जाने वाले पूर्वता-अधिपत्र का अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अपवाद हो सकते हैं।
- यदि जिले में एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लोक सभा) उस जिले के खंड के रूप में मौजूद हों और वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोक सभा) को किसी अन्य जिले की दिशा का अध्यक्ष बना दिया जाए तो अगले वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोक सभा) को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।
- समान वरिष्ठता के मामले में उस संसद सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जिसके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संबंधित जिले का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र आता हो।

सह-अध्यक्ष :

- जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संसद सदस्यों (लोक सभा) को सह-अध्यक्ष पदनामित किया जाना चाहिए।
- **राज्य सभा संसद सदस्य:** राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले और उस जिले की जिला स्तरीय समिति से जुड़ने के विकल्प का प्रयोग करने वाले किसी संसद सदस्य (राज्य सभा) (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सह-अध्यक्ष पदनामित किया जाएगा।

टिप्पणी : गृह मंत्रालय द्वारा बनाए रखे जाने वाले पूर्वता-अधिपत्र के अनुसार यदि राज्य सभा से संसद सदस्य वरिष्ठ हो तो उसे समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

सदस्य सचिव: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) का सदस्य सचिव जिला

कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उप-आयुक्त होगा। इसमें उन मामलों को छोड़ दिया गया है जहां केंद्र सरकार द्वारा विशेष छूट दी गई है। अति विशिष्ट परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त जिला परिषद के सीईओ अथवा वरिष्ठ एडीएम को उस विशेष बैठक के लिए सदस्य सचिव के रूप में प्राधिकृत कर सकता है ताकि दिशा की बैठकों का आयोजन कार्यक्रमानुसार किया जाना सुनिश्चित हो सके।

सदस्य: समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

- (i) जिले से निर्वाचित सभी विधान सभा सदस्य
- (ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का एक प्रतिनिधि
- (iii) सभी मेयर/ एक महिला सहित कम से कम नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और दो महिलाओं सहित ग्राम पंचायतों के पांच निर्वाचित प्रमुख
- (iv) जिला पंचायत का अध्यक्ष
- (v) अनुसूची VI क्षेत्रों वाले जिलों में स्वायत्त जिला परिषद का प्रमुख।
- (vi) जिले में मध्यस्तरीय पंचायतों के सभी अध्यक्ष।
- (vii) जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- (viii) परियोजना निदेशक, डीआरडीए/गरीबी उपशमन इकाई।
- (ix) अध्यक्ष और समिति में अन्य संसद सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जाने वाला किसी प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन से एक सदस्य
- (x) अध्यक्ष और समिति में अन्य संसद सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जाने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग का एक-एक प्रतिनिधि
- (xi) जिले के प्रमुख बैंक अधिकारी
- (xii) डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक
- (xiii) सभी कार्यक्रमों के जिला-स्तरीय नोडल कर्मी जो दिशा के दायरे में काम करेंगे। कार्यक्रमों की सूची नीचे पैरा 5 में दी गई है:

4. विचारार्थ विषय

- (i) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किए जाते हैं।
- (ii) किसी भी प्रकार के बाधा को दूर करने के लिए समेकित समाधान ढूंढने में मदद करना।
- (iii) डीपीसी द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के सुगम क्रियान्वयन में मदद करना।
- (iv) शीघ्रता से प्राथमिकताएं तय करने के लिए भूमि और स्थान के प्रावधानों से संबंधित मामलों को निपटाना।
- (v) सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में डीपीसी का मार्गदर्शन करना और उन्हें यह बताना कि जिले में बदलाव लाने के लिए इनका किस तरह उपयोग किया जा सकता है।
- (vi) संसद, राज्य विधान सभाओं और स्थानीय सरकारों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मुद्दों का निर्धारण करना ताकि उद्देश्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
- (vii) व्यापक कवरेज के लिए सभी समयबद्ध राष्ट्रीय पहलों की गहन निगरानी करना।
- (viii) अनुमोदित कार्यक्रमों की डिजाइन को सुधारने या मध्यावधि सुधार करने के लिए कार्यान्वयन से जुड़ी अड़चनों को दूर करना।
- (ix) लाभार्थियों के गलत चयन, निधियों के दुर्विनियोजन/अन्यत्र उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों/कथित अनियमितताओं की जांच करना और अनुवर्ती कार्रवाई की सिफारिश करना। समिति को इस प्रयोजनार्थ किसी भी अभिलेख की जांच करने और सम्मन जारी करने का अधिकार होगा। समिति, जांच के लिए किसी भी मामले को जिला कलक्टर / जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / डीआरडीए (अथवा गरीबी उपशमन इकाई) के परियोजना निदेशक को भेज सकती है अथवा नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई किए जाने का सुझाव दे सकती है, जो उनके द्वारा 30 दिनों के अंदर की जानी होगी।
- (x) प्रत्येक योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों द्वारा आवंटित, रिलीज की गई निधियों तथा निधियों के उपयोग और अप्रयुक्त शेष राशि सहित निधियों की उपलब्धता की गहन समीक्षा करना।

5. दिशा द्वारा कवर किए गए कार्यक्रम

दिशा भारत सरकार की उन सभी गैर-सांविधिक योजनाओं को कवर करेगी जिन्हें सामान्य रूप से चलाया जा रहा है। यद्यपि, संविधि के अधीन विशेष रूप से सौंपे गए योजनाओं के कार्यों को निगरानी हेतु किसी अन्य समिति को नहीं सौंपा जा सकता। ऐसे मामले में, मौजूदा सांविधिक प्रावधान

बने रहेंगे। योजनाओं की सुझाई गई सूची इस प्रकार है:

- 1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)
- 2) दीन दयाल अंत्योदय योजना - एनआरएलएम
- 3) दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
- 4) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- 5) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
- 6) प्रधान मंत्री आवास योजना (सभी के लिए मकान-शहरी)
- 7) प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई-जी)
- 8) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)
- 9) स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी)
- 10) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)
- 11) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम
- 12) डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)
- 13) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (डीडीयू-जीजेवाई)
- 14) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन - राष्ट्रीय रबन मिशन (एनआरयूएम)
- 15) राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (एचआरआईडीएवाई)
- 16) अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन (एएमआरयूटी)
- 17) स्मार्ट सिटी मिशन
- 18) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई)
- 19) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
- 20) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
- 21) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
- 22) समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस)
- 23) मिड-डे मील स्कीम
- 24) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) - बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन
- 25) जल मार्ग विकास परियोजना
- 26) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- 27) डिजिटल इंडिया - पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम - प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र उपलब्ध कराना

28) टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, वाटरवेज, माइन्स आदि जैसे अवसंरचना संबंधी कार्यक्रम

जब कभी आवश्यकता महसूस हो, कोई अन्य कार्यक्रम जिसकी निगरानी दिशा द्वारा अपेक्षित हो।

6. बैठकों की संख्या

माननीय संसद सदस्यों/विधायकों और अन्य सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना देने के बाद, दिशा की बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए। यदि समिति के सभी सदस्य नामित न भी किए गए हों, तो भी समिति की बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। नामित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सह अध्यक्ष को (यदि कोई हो), आपसी सहमति से बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए। यदि अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष उपस्थित न हो, तो उपस्थित सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करके निर्धारित बैठक की अध्यक्षता संपन्न हो।

7. बैठकों की विस्तृत अनुसूची

प्रत्येक दिशा को तिमाही बैठक के लिए कार्यसूची बनाने हेतु अपनी खुद की प्रणाली तैयार करनी होगी। दिशा की बैठक की विस्तृत अनुसूची इस प्रकार है :-

अप्रैल - प्रभावी समन्वयन के लिए आयोजना और समन्वयन बैठक जिसमें केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के बजटों को बजटीय अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा सके और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। आयोजना एवं समन्वय बैठक में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बजटों के संबंध में परियोजनाओं के समान वितरण की समीक्षा की जा सकती है और इनका सुनिश्चय भी किया जा सकता है। इस बैठक में कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट समय-सीमा और लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सकता है।

जुलाई - पहली बैठक में कार्यान्वयन योजना और निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्यक्रमों की पहली कार्यान्वयन समीक्षा।

अक्टूबर - कार्यों के समय से समापन के लिए कठिनाइयों की पहचान के लिए कार्यक्रमों की दूसरी कार्यान्वयन समीक्षा।

फरवरी - वर्ष के दौरान हुई प्रगति का अंतिम मूल्यांकन।

यह सुझाव दिया गया है कि अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की व्यवस्था अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और फरवरी के तीसरे शनिवार को की जाए।

सदस्य सचिव व्यक्तिगत रूप से बैठकों के आयोजन के लिए जिम्मेदार होगा।

8. कार्यसूची और अनुवर्ती कार्रवाई

क. कार्यसूची

अगली बैठक के लिए पहली कार्यसूची में पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्यसूची में मौलिक मुद्दे निहित होने चाहिए। पिछली बैठक के दौरान अनियमितताओं पर की गई टिप्पणी की स्थिति को राज्यों/जिलों में समीक्षा बैठकों के दौरान चैकलिस्ट में अभिन्न रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

ख. अनुवर्ती कार्रवाई

दिशा द्वारा समीक्षा किए गए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने वाली लाइन विभागों के प्रभारी अधिकारी को समिति के कार्यों में सहायता देनी चाहिए। दिशा की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई बैठक के 30 दिन के अंदर शुरू हो जानी चाहिए।

बैठक की सूचना सभी सदस्यों के पास बैठक शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जानी चाहिए, कार्यसूची सभी सदस्यों के पास बैठक शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले पहुंच जानी चाहिए और बैठकों की कार्यवाहियों की जानकारी बैठक के 10 दिन के भीतर जारी हो जानी चाहिए।

सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठक की सूचना, कार्यसूची और बैठक की कार्यवाहियां ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ-साथ राज्य की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई हैं।

केंद्र एवं केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत राज्यों को निधियां रिलीज करते समय दिशा बैठकों की नियमितता और इसके निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

9. बैठक के लिए व्यय

जिला प्रशासन लागू मानदंड के अनुसार जिला स्तर पर दिशा की बैठक के आयोजन पर खर्च कर सकता है। तथापि, प्रति बैठक कुल 2,00,000 रु. से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। संबंधित राज्य सरकार/राज्य की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (या जिला पंचायत) द्वारा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बिल मंजूर किए जाएंगे। दिशा के लिए व्यय संबंधी मानदण्ड नीचे दिए गए हैं :-

- दिशा के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए जिले में स्थानीय यात्रा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य के समूह 'क' के अधिकारियों के लिए अनुमेय सीमा के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।
- गैर-सरकारी सदस्यों को राज्यों के समूह 'क' के अधिकारियों के लिए लागू राज्य सरकार के दैनिक भत्ता दर के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
- जिला प्रशासन जलपान, स्थान की व्यवस्था, अपेक्षित लेखन सामग्री इत्यादि पर खर्च कर सकता है।
- दिशा के काम-काज के लिए अपेक्षित अन्य संभार-तंत्र तथा आधारभूत सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- कम्प्यूटर, कार्यालय परिसर, फर्नीचर तथा टेलीफोन इत्यादि जैसी मदों पर कोई भी खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।
- खर्च का ब्यौरा जिला स्तर पर रखा जाएगा तथा वास्तविक व्यय के आधार पर डीआरडीए (या जिला पंचायत) द्वारा दावा किया जाना चाहिए।
- किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर डीआरडीए (या जिला पंचायत) द्वारा दावा की गई राशि की प्रतिपूर्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा, किंतु यह 2,00,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. समिति की शक्तियां

इस समिति के पास समन्वय एवं निगरानी शक्तियां होंगी। इस समिति का कार्य अनुमोदित परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इस समिति के पास विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करने की शक्तियां होंगी। जिला कलक्टर सदस्य सचिव होगा, जिसका दायित्व सिफारिशों पर समय से अनुवर्ती कार्रवाई करने का होगा।
